छत्तीसगढ़ शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

क्रमांक : एफ 5–19/2019/18 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ~~01/09~~ 01/10/2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़,

विषयः राजीव गांधी आश्रय योजना।

E-Mail

— 000 —

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त शहरी आवासहीन निर्धन व्यक्तियों के लिए स्थाई व्यवस्था हेतु पूर्व में लागू की गई " राजीव गांधी आश्रय योजना" की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 19 नवंबर 2018 निर्धारित किया गया है। इस विस्तारित योजना हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किया जा रहा है:–

1. **योजना की विशेषताएं :–**
   1. समस्त नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में दिनांक 19.11.2018 को निवासरत झुग्गीवासियों को जिनके पास आवास का स्थाई पट्टा नहीं है, स्थाई पट्टा देना।
   2. नयी झुग्गियों के निर्माण को रोकने की दृष्टि से आवासहीन शहरी गरीबों के लिए सस्ती दरों पर आवासीय भू–खण्ड उपलब्ध कराना।
2. **स्थाई पट्टा एवं व्यवस्थापनः–**
   1. दिनांक 19.11.2018 को शहरी क्षेत्रों में शासकीय नजूल/स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण की भूमि में निवास करने वाले आवासहीनों को ऐसी अधिभोग की भूमि के पट्टे की पात्रता होगी जिनका इस पते का राशन कार्ड बना हुआ हो। यदि राशन कार्ड न हो तो नियम में उल्लेखित अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन पश्चात् उसे पट्टा प्रदान किया जावेगा।
   2. सामान्यतया योजना के अंतर्गत् ऐसे व्यक्ति को 450 वर्ग फुट तक की भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता होगी। यदि झुग्गीवासी व्यक्ति के अधिभोग में 450 वर्गफुट से अधिक भूमि होने की स्थिति में निम्नानुसार आधार पर निर्धारित क्षेत्रफल तक उसे पट्टा प्रदान किया जा सकेगा :–

(i)	नगर पंचायत क्षेत्रों में	1000 वर्गफुट
(ii)	नगरपालिका क्षेत्रों में	800 वर्गफुट
(iii)	रायपुर छोडकर अन्य नगरपालिक निगमों क्षेत्रों में	700 वर्गफुट
(iv)	रायपुर नगरपालिक निगम क्षेत्र में	600 वर्गफुट